वित्तीय स्वीकृति/समयबद्ध/फैक्स

संख्या:7/2018/199/55-पर्या-2-17/36(पर्या)/2014

प्रेषक,

निहालुद्दीन खां,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 26 मार्च, 2018

विषय-वित्तीय वर्ष 2017-18 में पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण निदेशालय के पत्र संख्या-1183/पर्या/आई0आई0टी0/जी0आई0एस0/2014 दिनांक: 15 मार्च, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक : 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित शर्तों के अधीन डॉ0 मुकेश शर्मा, प्रोफेसर, सिविल प्रौघोगिकी विभाग, आई0आई0टी0, कानपुर द्वारा Spatial and Temporal GIS based emission inventory of AIR Pollutants and Green House Gases in three major cities of Uttar Pradesh: A query based decision making tool नामक अध्ययन परियोजना के कार्यों के चतुर्थ/अंतिम चरण हेतु श्री राज्यपाल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रश्नगत मद में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 10,00,000/- में से रू0 2,43,814-00 (रू0 दो लाख तैतालिस हजार आठ सौ चौदह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्तानुसार अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रचलित वित्तीय नियमों/शासनादेशों/मैनुअल आदि का अनुपालन करते हुए किया जायेगा तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जहां आवश्यकता हो, वहां शासन अथवा सक्षम अधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त किया जायेगा।

3- उपर्युक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-45 पर्यावरण विभाग के लेखाशीर्षक- "3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-03-पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरूदभवन -003-पर्यावरणीय शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार-04 पर्यावरणीय शोध क्रियान्वयन कार्यक्रम-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

भवदीय
(निहालुद्दीन खां)
संयुक्त सचिव।

संख्या:7/2018/199/55-पर्या-2-18/36(पर्या)/2014दिनांक: 26 मार्च, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/व्दितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-7/वित्त आय-व्ययक, अनुभाग-1/2
4- नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1

आज्ञा से,
(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।